संख्या-213/2019/4195/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 अक्टूबर 2019

विषयः- मा0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उ0प्र0लखनऊ में विचाराधीन प्रकरण कु0 जागृति छात्रा फार्मेसी कालेज, चण्डेश्वर आजमगढ़ की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2391/स0क0/शिक्षा-अ/अनु0जाति आ0/2019-20, दिनांक-25.09.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त कु0 जागृति, छात्रा, फार्मेसी कालेज, चण्डेश्वर आजमगढ़ की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति की देय धनराशि रू0-60460/- (रूपये-साठ हजार चार सौ साठ मात्र) के भुगतान की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से भुगतान की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय
सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-213/2019/4195/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in